

कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर

क्रमांक 221/09/4/11/फायर

ग्वालियर दिनांक 22.09.09

प्रति,

श्री जी.डी.शर्मा
डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऋतनन्द बलदेव एज्युकेशन
फाउण्डेशन, एमिटी, नई-दिल्ली

विशय:- शैक्षणिक संस्थान के निर्माण हेतु फायर N.O.C. चाहने बावत् ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आवेदक श्री जी.डी.शर्मा डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऋतनन्द बलदेव एज्युकेशन फाउण्डेशन, एमिटी, नई-दिल्ली द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम-महाराजपुरा डांग के सर्वे क्रमांक 31,38 से 42 तक 44,45,46,48 से 51 तक रकबा 41.484 हेक्टर (414840.0 वर्गमीटर) भूमि पर 7.2 मीटर ऊंचाई के शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु Fire NO Objection Certificate की मांग की है । उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया । आवेदक को शैक्षणिक संस्था के निर्माण के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ National Building code of India-2005 – part-4 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम सन् 1984 के मानिक माप दण्डों अनुसार निर्माण तथा सुरक्षा व्यवस्थाएँ करानी होगी । एतिहाती तौर पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार गाईड लाईन के रूप में निम्न लिखित है :-

✓ 1. भवन स्थल पर फायर ब्रिगेड वाहन आसानी के आ जा सकती है । प्रस्तावित स्थल फायर ब्रिगेड मुख्यालय रूप सिंह स्टेडियम से 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है ।

✓ 2. **Open the Sky:-** शैक्षणिक भवन का आग्र भाग 12 मी. व तीनों ओर 6-6 मीटर का सयुक्त संचालक दगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर के मानिक माप दण्डों, मानचित्र अनुसार खुला भाग छोडना होगा ।

शैक्षणिक भवन के चारों ओर का खुले स्थानों को जाने वाला मार्ग (पहुंच मार्ग) की सतह इतनी सख्त बनानी होगी जिस पर 18 टन का दमकल फायर इन्जन का भार सहन करने योग्य हो । वह खुली जगह सदैव बाधाओं से मुक्त बिना किसी रुकावट के रखना होगी ।

इस खुले भाग में चारों ओर कोई बालकनी, छप्पा कोई भी projection नहीं बनाया जा सकेगा ।

22.9.09
फायर ऑफिसर
फायर विग्रेड
नगर निगम ग्वालियर

✓ 3
✓ 4
✗ 5
NA

Earth Quick Safety: - आवेदक को भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी सम्पूर्ण तकनीकियों का समावेश करते हुये निर्माण कराना होगा ।

तणित यंत्र:- भवन के ऊपर आकाशीय विधुत हेतु तणित चालित यंत्र लगाना होगा ।

Basement :-

1. तलघर का प्रयोग वाहन पार्किंग के लिये किया जावेगा ।
2. प्रत्येक तलघर के भाग उस छत के जमीन या छत (सीलिंग) की ऊंचाई फर्श से सीलिंग तक 2.4 मीटर के अन्तर से कही भी कम न रखा जावे ।
3. तलघर में पर्याप्त संवातन व्यवस्था होगी । जो इन नियमों के अनुसार निवेश जगह-जगह फ्लोर (धोकनी) एक्जास्ट फैन, वातानुकूलित प्रणाली या तत्सम प्रणाली से पर्याप्त यांत्रिकी संवातन व्यवस्था करके इस कमी को पूरा किया जावेगा । पर्याप्त रोशनदान, प्रकृति प्रकाश व्यवस्था की जावे ।
4. तलघर में सतह जल निकास का प्रवेश न हो सके । नमी प्रूफिंग वाटर टाइट ट्रीटमेन्ट पद्धति से बनाया जावे ।
5. कम से कम दो Ramp होंगे प्रत्येक Ramp 2.25 m चौड़े होंगे । जो फिसन रहित होंगे ।
6. रसोई घर का प्रयोग पूर्ण निषेध होगा ।

6. **RAMP:-** शैक्षणिक संस्थान के विकलांग एवं असयह एवं अशक्त विधार्थियों हेतु शाला मे रेम्प का निर्माण करना होगा तथा उनके लिये शील चेयर, टायस्यकल एवं सहयोगीयों की व्यवस्था करनी होगी ।

- Under Provision
- (1)- Ramps की सतह फिसलन रहित (विहीन) सामग्रीयों से बनाई जावेगी ।
 - (2)- Ramps की खुली साइडों में मजबूत Hand Railing लगानी होगी ।
 - (3)- Ramps भूतल पर आग या सुरक्षित स्थानों में सीधे बाहर की ओर खुलेंगे और वह सीधा मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग होगा ।
 - (4)- किसी भी Ramps की चौड़ाई 2.25 मी. से कहीं भी कम न रखी जा सकेगी ।

7. **Stair ways, Stair cases, Passage ways Corridors:** - भवन में जीने, निर्गम रास्ते, कोरीडोर के सभी मार्ग 1.5 मीटर चौड़ाई से कम न बनाये जावे । भवन में कम से कम 3 Stair cases ऐसे रखना होंगे जिनका जमनी तल पर खुलने वाला भाग मुख्य मार्ग को जोड़ता हो जिससे आपात स्थिति मे बाहर निकला जा सके ।

सभी जीने अग्नि रोधक material से बनाये जावे । जहां जीनों का खुला भाग छूटता हो वहां वहां Hand Railing मजबूत लगानी होगी । Stair cases, Passage way, Corridor सभी निर्गम मार्गों कक्षों में प्राकृतिक हवा, प्रकाश, पर्याप्त आने का रास्ता हो । साथ ही इमर्जेन्सी लाईट / विधुत प्रकाश / तथा धुंसा निकलने की पर्याप्त व्यवस्था करानी होगी ।

शाला में लौहे के जीने लगाना निषेध होगा । सभी निर्गम मार्ग, जीने दूर से दृष्टिगोचर होने वाले रखे जावेगें जिनमें से किसी भी कक्षा ऑफिस रुम की पहुंचने में देखलनदारी नहीं होना चाहिये । तथा इनकी गेप छत ऊंचाई 2.4 मीटर से कहीं

कम न रखी जावे । सभी मार्ग सदैव बाधा रहित रखने होंगे । प्रत्येक निर्गम मार्गों कक्षा रूमों, लेबोर्टी, प्रशासन/ ऑफिसेज आदि के निर्गम मार्गों को पक्के ग्लोसाईन रेडियम युक्त रंग से स्पष्ट एवं बड़े-बड़े अक्षरों में निकास की ओर चिह्नित कराना होगा ।

भवन में जहां - जहां खुला स्थान पर गिरने की आशंका वाले स्थानों पर लोहे के जाल, ग्रैलिंग लगाये जावें ।

✓ 8. **Doors:-** शाला भवन के सभी दरवाजे इतने बड़े एवं चौड़ाई के रखे जावें ताकि आपात स्थिति/आग लगने पर हर स्थिति में वहां के हर तल से लोग आसानी से बाहर खुले एवं सुरक्षित स्थान पर सभी लोग पहुंच सकें ।

सभी दरवाजे इस प्रकार लगाने होंगे ताकि उनके खुलने से भवन का कोई भी निकास भाग मार्ग बाधित न होने पावें ।

भवन का प्रत्येक दरवाजा कम से कम One hour fire Resistance की क्षमता का लगाना होंगे ।

हर कक्षा के कमरों में कम से कम दो दरवाजे रखे जावें ।

निर्गम द्वार ऐसे स्थानों पर बनाए जायेंगे जहां से मंजिल पर तय की जाने वाली दुरी शैक्षणिक संस्थागत भवन के मामले में 22.5 मीटर से कहीं अधिक न हो ।

9.

Terrace Tank:- भवन के दोनों ओर ऊपरी छत पर एक-एक पक्का कवर्ड पानी का टैंक 25000-25000 लीटर क्षमता के दो टैंक बनाना होंगे । इसे सदैव पानी से भरा रखना होगा । और प्रत्येक टैंक के साथ पानी की गति/प्रेशर देने हेतु टैंक से जोड़कर एक-एक Fire pump 900/min. Auto mention लगाना होगा ।

✓ नोट :- दैनिक व्यवहार हेतु पानी की व्यवस्था इन टैंकों से अलग बनाना होगी ।

✓ 10.

Down Comer:- भवन में हर 60 मीटर की दूरी पर एक-एक लौहे का 100mm व्यास का पाइप ऊपर से नीचे तक लगाना होगा । जिसे Terrace with pump से जोड़कर लगाना होगा । हरेक मंजिल पर आउट लेट देने होंगे प्रत्येक आउट लेट के पास हॉज बॉक्स में 15-15 मीटर के 3-3 होज पाइप (2) आर.आर.एल. के रखने होंगे साथ ही एक-एक ब्रान्च पाइप एक-एक फायर एक्स भी रखना होगा ।

इसमें जमीन तल पर बिल्डिंग से बाहर एक Two Way Non Return Value लगाना होंगे ।

✓ 11.

Hose Reel:- भूतल से लेकर भवन के हर तल पर हेजो स्टैंडिंग शाफ्ट के स्टाफिंग बॉक्स पर 19mm की जबड ट्यूब 150-150 वर्गफुट की लपेटी हुई लगानी होगी । इसको डाऊन कमर से जोड़ना होगा । इस हॉजरील के प्रत्येक out let पर एक-एक शॉट ऑफ नोजल लगाना होगा ।

नोट:- हॉज रील और हॉज पाईपों की पहुँच भवन के हर कमरे के हर कोने - कोने तक होना अनिवार्य है जहाँ पहुँच न हो वहाँ अलग से डाऊन कमर उतार कर आउट लेट/ हाजरीलों की पुनः पुनः व्यवस्था की जावे ।

12. **Automatic Sprinkler System (Installation):-** बिल्डिंग के बेसमेन्ट में Car Parks सुरक्षा हेतु Automatic Sprinkler System जो फायर अलार्म सहित लगाना होंगे जिससे बेसमेन्ट में जगह-जगह कम Power पर (तापमान) पर फ्यूज होने वाले Sprinkler Heads लगाने होंगे।

नीचे तक Down Comer Cum Wet Riser पाईप ऊतार कर उसमें आउट लेट मय कन्ट्रोल बाल्व तथा होज बॉक्स में आर.आर.एल. होज पाईप ब्रान्च पाईप सहित तथा होजरील लगानी होगी ।

13. **Manually Operated Electric Fire Alarm System:-** सम्पूर्ण भवन में फायर आलार्म सिस्टम लगाना होंगे। जिसका स्वीच हर तल पर सामान्य पहुँच में लगाना होंगे।

14. **Boundary walls:-** कम से कम 3 गेट प्रत्येक की चौड़ाई 4.5 मीटर से कम न रखी जावेगी । दरवाजे दिवाल से लगकर सटकर खुलेगें ।

शाला भवन में प्रत्येक कमरे एवं सभी क्षेत्रों के लिये अन्तर छत की ऊंचाई 3.6 मीटर से कम नहीं रखी जावेगी ।

कमरों में पर्याप्त रोशन दान खिडकियां हवा प्रकाश की व्यवस्था/तथा एक्जास्ट फेन आदि लगाये जावें ।

शाला की हर कक्षा की खिडकी में 3.5'x3.5' फुट की जह बिना सरियों के बिना रूकावट के खिडकी खोलने पर निकल खुला भाग आवें रखना होगी ।

हर कक्षा में निर्गम द्वार दूर से दिखाई देगें और मैन गैलरी में खुलेगें, जहां से खुले स्थान की और निकला जा सकें ।

15. **Electrical Panel:-** भवन में विधुत व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली हर सामग्री Indan Standard Specification उच्च गुणवक्ता तथा Fire Resistance वाली प्रयोग की जावें। भवन में यह व्यवस्था Under walls/Under ground की जावें ।

मैन मीटर/जनरेटर/मैन-मैन जंक्शन पर उनकी वहां के भार क्षमता अनुसार M.C.B., H.R.D.C., E.L.D.C. लगाये जावें ताकि अधिभार या कोई फॉल्ट होने पर विधुत प्रवाह स्वतः ही विच्छेद हो जावें ।

विधुत सिस्टम की इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा । ट्रांसफार्मर इत्यादि भवन से अलग बन्द आहाते में लगाना होंगे ।

नोट :- शाला के किसी भी जीने के नीचे मीटर बोर्ड पर बोर्डों का लगाया जाना पूर्ण निषेध होगा ।

16. कमरों में प्रकाश व्यवस्था तथा संवातन :- कमरों में प्रकाश तथा हवा के प्रवेश के लिये खिडकियों या संवातन जैसे एक से अधिक खुले स्थान होंगे जो बाहरी हवा

की ओर या किसी ऐसे बरामदे में सीधे खुलते हों जिनकी अधिकतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी। जहाँ प्रकाश तथा संवातन की अपेक्षाओं की पूर्ति दिन के प्रकाश तथा प्राकृतिक संवातन के माध्यम से नहीं हो पाती, वहाँ उसे समय-समय पर यथा पुनरीक्षित संहिता के भाग आठ भवन सेवा भाग 1 प्रकाश तथा संवातन के अनुसार कृत्रिम प्रकाश तथा यांत्रिकी संवातन के जरिये सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसमेन्ट में इमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था रखनी होगी।

17.

सम्पूर्ण शाला भवन हवा प्रकाश युक्त बनाया जावे Existing. Smack Extraction System युक्त किया जावे।

18.

Not held

Fire Buckets:- भवन में जमीनी तल से लेकर प्रत्येक तल पर हर 15-15 मीटर की दूरी पर लौहे के स्टेण्डों पर प्रत्येक स्टेण्ड पर 4-4 बाल्टी सूखी रेत भरी, 4-4 बाल्टियां पानी की भरी बाल्टियों वाले दो-दो स्टेण्डों पर टांग कर रखना होगी जिनमें रेत और पानी साफ सदैव भर रखना होगा। मीटर बोर्ड्स/ जनरेटर/ ट्रांसफार्मर/ लायब्रेरी/ प्रयोग शाला लेबो/केन्टीन/ओपन एयर थैयटर/ऑफिस/शाला स्टोर रूम सभी के पास 3-3 सूखी रेत भरी बाल्टियों तथा स्टोर रूम के पास रेत के साथ-साथ पानी की बाल्टियों वाले दो-दो लौहे के स्टेण्ड लगाना होंगे।

19.

Fire Extinguishers:- भवन में जमीनी तल से प्रत्येक तल पर हर 12 मीटर की दूरी पर मेन मार्ग सार्वजनिक पहुंच में 2-2 नग ABC Type Stored Pressurised Fire Extinguishers 5-5kg क्षमता वाले पूरे भवन में हर तल पर लगाना होंगे।

कम्प्यूटर लेब/ लायब्रेरी/ लेबोटीज/ ऑफिस/सेमिनार हॉल/ओडोफिजवल लेब/स्टोर रूम/ओपन एयर थैयटर/रेम्प/गार्ड रूम आदि में Carbon dioxide Extinguisher 5-5 kg. के दो-दो नग क्षमता के लगाने होंगे।

नोट :- भवन के किसी भी हिस्से में अग्नि शामकों की दूरी 12 मीटर से अधिक न रखी जावे दूरी अधिक होने पर पुनःपुनः उक्त प्रकार से अग्नि शामक यंत्र लगाये जावे। तथा समय-समय पर उनका रख रखान/ मेन्टीनेन्स/ रिफिलिंग/ कराया जाकर उनकी कार्यक्षमता यथावत बनाये रखनी होगी।

20.

Yard Hydrants:- परिसर में कम से कम 2 Yard Hydrant लगाने होंगे जो Terrace Tank एवं उसमें लगे Fire Pumps से जुड़े होंगे। Yard Hydrants के बगल होज बॉक्स में 3-3 होज पाईप, एक ब्रान्च पाईप रखना होगा।
लौहियों के साथ से Yard Hydrant लगाना होगा।

21.

भवन में सभी अग्नि शामक व्यवस्थायें, उपकरण Indian Standard Specification प्रमाणिक लगाये जावे तथा इन्हें भवन निर्माण के साथ-साथ व्यवस्था पूर्ण करानी होगी।

22.

भवन रक्षक / चतुर्थ वर्ग कर्मियों को फायर फायटिंग का प्रशिक्षण देना होगा अनिवार्य होगा।

23.


भण्डार एवं शाला भवन में अतिज्वलन शील पदार्थ रखना निषेध होगा।

24.

भूमि संबंधी विवाद निगम हित में सुरक्षित होंगे।


यह व्यवस्था एन.ओ.सी. पत्र मुख्य भवन हेतु मान्य होगा। अन्य भवनों के निर्माण हेतु अलग-अलग से पत्र एन.ओ.सी. शुल्क जमा कर एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य है।

उपरोक्त सभी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण कराये जाने के पश्चात् उन भवनों के फायर ऑफिसर से कराना होगा, तथा उनके निर्देशानुसार (मार्ग दर्शन) से उनमें सशान्त प्रवेश अनिवार्य होगा। पूर्ण संतुष्टी होने पर ही Fire No Objection Certificate स्थाई दिनांक में फायर ब्रिगेड विभाग को आपत्ति नहीं होगी। जब तक भवन निर्माण तथा निर्माण के साथ साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कराने, सी.वी.एस.सी. की मान्यता अनुसार आवेदक से सम्पूर्ण उपरोक्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने, उन्हें सदैव स्थापित रखने उनका मेन्टीनेन्स कर कार्य क्षमता बनाये रखने विषयक शपथ-पत्र लेकर अस्थाई आनापत्ति प्रदान की जाती है। कम्प्लेशन सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा।


 22.9.09
 फायर ऑफिसर
 फायर ब्रिगेड न०पा०नि०
 ग्वालियर

प्रतिलिपि :-

1. भवन अधिकारी नगर निगम ग्वालियर।
2. उपयंत्री क्षेत्रीय कार्यालय कं. 8., नगर निगम ग्वालियर।


 फायर ऑफिसर
 फायर ब्रिगेड न०पा०नि०
 ग्वालियर